भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2150

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बारदोली के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होना

2150. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गुजरात के बारदोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने, कम वोल्टेज, ट्रांसफार्मर की विफलता और लंबे समय तक मरम्मत कार्य होने संबंधी समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके निवारण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास बारदोली के दूरस्थ और जनजातीय गांवों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, फीडर पृथक्करण, भूमिगत केबल बिछाने अथवा सौर ऊर्जा आधारित वैकल्पिक व्यवस्थाओं सहित निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी कार्य योजना क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है**,** अतः उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी के दायरे में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को पूरक सहायता प्रदान करती है।

दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल) ने कहा है कि वह बारदोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। पिछले तीन वर्षों की

अवधि में, अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 (जनवरी, 2026 तक) के दौरान, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और ट्रांसफार्मर की विफलता आदि से संबंधित कुल 1,03,747 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। आरडीएसएस स्कीम के तहत 2.83 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है, जिसमें गुजरात राज्य के लिए 16,712 करोड़ रुपये (डीजीवीसीएल के लिए 4,153 करोड़ रुपये सहित) के अवसंरचना संबंधी कार्य (स्मार्ट मीटरिंग सहित) शामिल हैं। इसमें से बारदोली निर्वाचन क्षेत्र अर्थात सूरत और तापी जिले में स्मार्ट मीटरिंग सहित कार्यों के लिए 555 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है।

इसके अलावा, डीजीवीसीएल ने गुजरात सरकार की विभिन्न स्कीमों नामतः सिस्टम इम्प्रूवमेंट (एसआई), रोबस्ट-एसआई, वनबंधु कल्याण योजना-2 (वीकेवाई-2), किसान सूर्योदय योजना (केएसवाई) तथा सरदार कृषि ज्योति योजना (एसकेजेवाई) के तहत 316 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ बारदोली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की है। रोबस्ट-एसआई को छोड़कर, जिसके लिए समय-सीमा वित्त वर्ष 2026-27 है, इन सभी स्कीमों के तहत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा वित्त वर्ष 2025-26 है। इनमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- ओवरलोडिंग समाधान करने और वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए अतिरिक्त और उच्च क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना।

- विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और व्यवधानों को कम करने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को सुदृढ़ और अलग करना।

- क्षतिग्रस्त कंडक्टरों के प्रतिस्थापन, नए खंभों के निर्माण और एचटी ओवरहेड नेटवर्क को भूमिगत केबल में संरक्षण के माध्यम से नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

- विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में ग्रिड पावर को पूरक करने के लिए लागू सरकारी नीतियों के तहत रूफटॉप और वितरित सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना।

****